निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1935 (शo)

(सं0 पटना 499) पटना, शुक्रवार, 28 जून 2013

सं0 03/मेट्रो रेल–05–02/2013—1100

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

**संकल्प**

**18 जून 2013**

**विषयः– पटना मेट्रो रेल परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नामांकन के आधार पर RITES Ltd. को नामित करने तथा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन पर देय परामर्शी शुल्क ₹ 225.00 लाख एवं उक्त राशि पर सेवा कर 12.36 प्रतिशत की दर से ₹ 27.81 लाख सहित कुल ₹ 252.81 लाख (दो करोड़ बावन लाख ईक्यासी हजार रू0 मात्र) के व्यय की स्वीकृति।**

पटना शहर का प्राचीन समय से ही व्यापारिक एवं ऐतिहासिक महत्व रहा है। राज्य की राजधानी होने के कारण पटना में शहरी आबादी द्रूत गति से बढ़ रही है और शहर के चौराहों पर प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है। इससे आम नागरिकों को समय से गंतव्य तक पहुँचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ शहर में पर्यावरण संबंधी प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अतः सार्वजनिक यातायात को सुलभ बनाने एवं सस्ती यातायात की सुविधा आम नागरिकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेट्रो रेल परिचालन की परिकल्पना की गई है। मेट्रो रेल के परिचालन से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि निजी वाहनों का प्रयोग काफी हद तक हतोत्साहित हो सकेगा, जिससे यातायात संबंधी समस्याओं व पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी।

पटना शहर में मेट्रो रेल परियोजना हेतु RITES Ltd. (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) राईटस भवन, नं0–1 सेक्टर–29 गुड़गांव–122001 द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु प्रति कि0 मी0 रु0 7.50 लाख की दर से कुल रु0 225.00 लाख एवं 12.36 प्रतिशत की दर से सेवा कर रु0 27.81 लाख कुल रु0 252.81 लाख (दो करोड़ बावन लाख ईक्यासी हजार रू0 मात्र) के अनुमानित व्यय का प्रस्ताव दिया गया। मेट्रो रेल परियोजना की कुल लम्बाई लगभग 30 कि0 मी0 प्रस्तावित है एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु छः माह की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

2. RITES Ltd. द्वारा पटना मेट्रो परियोजना हेतु पटना शहर की यातायात व्यवस्था की स्थिति व आवश्यकता के अनुमान के आधार पर मार्गनिर्धारण हेतु विकल्प दिए जायेंगे। मेट्रो परियोजना हेतु रूट alignment तय करने के क्रम में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मेट्रो परियोजना हेतु भूमिगत रूट alignment न किया जाय, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

3. सम्यक विचारोपरान्त RITES Ltd. को नामांकन के आधार पर पटना में मेट्रो रेल परियोजना तैयार करने हेतु परामर्शी नामित करते हुए ₹ 252.81 लाख रू0 परामर्शी शुल्क (सेवाकर सहित) का भुगतान पॉच चरणों में करने का निर्णय लिया गया।

4. **निधि की व्यवस्थाः–**

पटना मेट्रो रेल परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु देय परामर्शी शुल्क रु0 225.00 लाख एवं उक्त राशि पर सेवा कर 12.36 प्रतिशत की दर से रु0 27.81 लाख सहित कुल रु0 252.81 लाख (दो करोड़ बावन लाख ईक्यासी हजार रू0 मात्र) का भुगतान राज्य योजना के परियोजना प्रतिवेदन (DPR) मद में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. **बजट प्रावधान :–** योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य परियोजना मद में वित्तीय वर्ष 2013–14 में रु0 **500.00** लाख (पॉच करोड़ रू0 मात्र) का प्रावधान किया गया है, जो निम्न शीर्ष से विकलनीय होगाः–

(1) मांग सं0–48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–राज्य की राजधानी का विकास–लघुशीर्ष–191–नगर निगम को सहायता–उपशीर्ष–0110– शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान विपत्र कोड–P2217011910110– विषय शीर्ष–3105– सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण– राज्य योजना स्कीम कोड–URB 5081.

(2) मांग सं0–48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी नगरों का समेकित विकास– लघुशीर्ष–192–नगर पालिकाओं–नगर परिषदों को सहायता–उपशीर्ष–0106– शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान विपत्र कोड–P2217031920106– विषय शीर्ष–3105– सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण–राज्य योजना स्कीम कोड–URB 5081.

(3) मांग सं0–48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी नगरों का समेकित विकास– लघुशीर्ष–193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता–उपशीर्ष–0105– शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित अनुदान विपत्र कोड–P2217031930105–विषय शीर्ष–3105– सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण–राज्य योजना स्कीम कोड–URB 5081.

(4) मांग सं0–48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य– लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0119– शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान विपत्र कोड– P2217808000119– विषय शीर्ष–3105– सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण– राज्य योजना स्कीम कोड–URB 5081.

**आदेश** :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी 200 प्रति इस विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा0 एस0 सिद्धार्थ,
सरकार के सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 499-571+200-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**